कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
सोनभद्र – (उ0प्र0)

☎ 05446–252020 PIN Code: 231217 Email: dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक– 3004 / रेनुकूट /15–26 दिनांक,रेनुकूट,फरवरी, 10, ,2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अंतर्गत मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट को 132 के0बी0 विद्युत पारेषण लाइन के खम्भे आदि लगाने हेतु पूर्व में पट्टे पर दी गयी 6.394 हे0 आरक्षित वनभूमि की लीज को पुनः 25 वर्षो हेतु दिनांक 01.04.2022 से दिनांक 31.03.2047 तक नवीनीकरण किये जाने के संबंध में।

संदर्भः– अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 का पत्रांक– 2009/81–2–2023–800(14)/2023 लखनऊ दिनांक– 04.02.2024

महोदय,

विषयगत संदर्भित पत्र जो आपको भी पृष्ठांकित है, का अवलोकन करने का कष्ट करे । संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त निर्देशो के अनुपालन मे, प्रश्नगत प्रकरण मे दिनांक– 16.09.2021 को सम्पादित लीज डीड की 3 (तीन) कलर प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर अवलोकनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार तीन प्रतियो मे ।

भवदीय

(स्वतंत्र कुमार श्रीवास्तव)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट

Scanned with OKEN Scanner

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Signature- [signature]
ACC Name- Jai [illegible]
ACC Code- UPECC[illegible]
ACC Add- [illegible]udhi, Son[illegible]
Mobile- 9[illegible]3
License No.- 119
L Dudhi, Sonbhadra

Certificate No.	:	IN-UP65850075708340T
Certificate Issued Date	:	15-Sep-2021 11:43 AM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14122904/ SONBHADRA/ UP-SNB
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14122904205930159942 31T
Purchased by	:	HINDALCO INDUSTRIES LTD RENUKOOT
Description of Document	:	Article 35 Lease
Property Description	:	C.NO-16,17 ,MURDHAWA VAN BLOCK ,6.394 H. TRANSMISSION LINE FROM RIHNAD HYDEL TO HINDALCO
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	GOVERNOR OF UTTAR PRADESH
Second Party	:	HINDALCO INDUSTRIES LTD RENUKOOT
Stamp Duty Paid By	:	HINDALCO INDUSTRIES LTD RENUKOOT
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	12,520 (Twelve Thousand Five Hundred And Twenty only)

Locked
S.L.No-..3308|16.09.2021

---------Please write or type below this line---------

QT 0001210277

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

Scanned with OKEN Scanner

<u>पट्टा विलेख</u>

यह पट्टा सन 2021 के सितम्बर माह के 16 वें दिन तद्नुसार शाक संवत 1943 भाद्रपद के मास के शुक्लपक्ष 10 वें दिन को श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, (जिनको यहाँ आगे चलकर "पट्टादाता" कहा गया है) प्रथम पक्ष, तथा मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, रेणुकूट, पो0आ0 रेणुकूट, जिला–सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, जो कम्पनी एक्ट–1956 के अधीन एक पंजीकृत कम्पनी है एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय आहुरा सेन्टर, प्रथम तल, बी–विंग्स, महाकाली केव्स रोड, अन्धेरी (ईस्ट), मुम्बई–400093 है, (जिसे आगे चलकर "पट्टेदार" कहा गया है) द्वितीय पक्ष के मध्य में लिखा गया।

चूँकि जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग में 132 के0वी0 पारेषण लाईन के खम्भे आदि लगाने हेतु राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 02.09.1972 द्वारा 6.394 हे0 भूमि 25 वर्षो हेतु मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 को हस्तांतरित किया गया था. कतिपय कारणों से तत्समय सम्बन्धित पटटा विलेख को निष्पादित नहीं कराया जा सका था। अग्रेतर भारत सरकार/राज्य सरकार के आदेश संख्या 774/14–2–2000–749/72 दिनांक 02.03.2001 के द्वारा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या 8/04/2074/2000/726 एफ.सी. दिनांक 06.10.2000 में निहित शर्तो के अन्तर्गत रेणुकूट वन प्रभाग, जिला–सोनभद्र में पट्टेदार को 132 के0वी0 विद्युत पारेषण लाईन हेतु 6.394 हे0 वनभूमि हस्तांतरित करने एवं गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति दी है ।

और चूँकि पट्टादाता अपने पत्र संख्या 774/14–2–2000–749/72 दिनांक 02.03.2001 के द्वारा उक्त प्रयोग हेतु 25 वर्षो के लिए दिनांक 01.04.1997 से पट्टा विलेख निष्पादित किया जाना है (जिसको एवं तदपश्चात "पट्टा विलेख" कहा गया है।)

और चूँके पट्टादाता ने पट्टेदार के अनुरोध पर इसमें उल्लिखित अनुसूची में वर्णित 6.394 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि को शासनादेश संख्या 774/ 14–2–2000–749/ 72 दिनांक

For Hindalco Industries Limited

(Vivek Kumar)
Authorized Signatory)

Scanned with OKEN Scanner

आवेदन सं०: 202101006003854

पट्टा अनुबंध विलेख

बही स०: 1	**रजिस्ट्रेशन स०: 3300**	**वर्ष: 2021**

प्रतिफल- 313000 स्टाम्प शुल्क- 12520 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 3130 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 3190

श्री मे०हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि० ,
द्धारा विवेक कुमार लिगल हेड हिण्डालको
व्यवसाय : नौकरी
निवासी: हिण्डालको कालोनी रेनूकूट दुध्दी सोनभद्र

ने यह लेखपत्र इस कायालय मे दिनाँक 16/09/2021 एवं 01:05:45 PM बजे
निवंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

श्याम धर यादव प्रभारी
उप निबंधक :दुद्धी
सोनभद्र
16/09/2021

निबंधक लिपिक

Scanned with OKEN Scanner

02.03.2001 के अनुसार पट्टेदार के नाम आगे अभिव्यक्त अधिकारों, निर्बन्धनों एवं विभिन्न प्रसंविदाओं तथा अनुबंधो के अधीन पट्टेदार को जनपद–सोनभद्र में 132 के0वी0 विद्युत पारेषण लाईन के खम्भे आदि लगवाने हेतु (जिसे एतद् पश्चात **"उक्त प्रयोजन"** कहा गया है।) हेतु 25 वर्ष की अवधि के लिये पट्टे पर पट्टेदार को गैर वानिकी प्रयोग हेतु हस्तान्तरित करने के लिये सहमत हुये हैं ।

और चूँकि पट्टादाता अपने पत्र संख्या 774/14–2–2000–749/72 दिनांक 02.03.2001 (जिसे एतद्पश्चात **"उक्त शासनादेश"** कहा गया है।) द्वारा इस पट्टाविलेख की अनुसूची में उल्लिखित वनभूमि को 25 वर्ष की अवधि के लिये पट्टे पर गैर वानिकी प्रयोग हेतु हस्तान्तरित करने के लिये एतद्पश्चात अभिव्यक्त अधिकारों, निबन्धों एवं प्रसंविदाओं के अधीन सहमत हुए है ।

और चूकि पट्टादाता द्वारा इस पट्टा विलेख को निष्पादित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या 774/14–2–2000–749/72 दिनांक 02.03.2001 जारी किया है ।

अतः उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृति के सम्बन्ध में ट्रान्सफर ऑफ प्रापर्टी एक्ट, 1882 सपठित वन संरक्षण अधिनियम, 1980 समय समय पर यथा संशोधित के अधीन निष्पादित यह विलेख साक्षी है कि रू0 9,480.00 (रूपया नौ हजार चार सौ अस्सी मात्र) के प्रीमियम जिसकी प्राप्ति पट्टादाता एतद्द्वारा स्वीकार करता है तथा आगे आरक्षित भूमि का वार्षिक लीज रेन्ट की प्राप्ति के फलस्वरूप और पट्टेदार द्वारा की गयी प्रसंविदाओं को ध्यान में रखकर पट्टादाता एतद्द्वारा 6.394 हे0 वनभूमि उसकी सीमाओं सहित जिसका विवरण इससे सम्बद्ध अनुसूची में दिया हुआ है तथा जो स्पष्टीकरण के लिये इस पट्टा विलेख से संलग्न मानचित्र में लाल रंग से दर्शा दिया गया है (जिसे आगे "वनभूमि" कहा जायेगा) सन् 2001 के अप्रैल माह के 1 वें दिन से 25 वर्ष की अवधि के लिये पट्टेदार को पट्टे पर गैर वानिकी प्रयोग के लिये हस्तांतरित करते हैं। इस आधिपत्य के उपलक्ष में 1997 से 2022 उक्त अवधि के लिये पट्टेदार समस्त कटौतियों को छोड़कर रूपया बावन हजार एक सौ चालीस मात्र (रू0 52,140/–) मात्र का वार्षिक किराया प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन अथवा इसके पूर्व प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट को

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर

For Hindalco Industries Limited
(Vivek Kumar)
Authorized Signatory)

आवेदन सं०: 202101006003854

बही स०: 1 रजिस्ट्रेशन स०: 3300 वर्ष: 2021

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

पट्टा दाता: 1

श्री महामहिम राज्यपाल महोदय के दवारा मनमोहन मिश्रा डी एफ ओ

निवासी: वन विभाग [illegible] प्रभाग सोनभद्र

व्यवसाय: नौकरी

पट्टा गृहीता: 1

श्री मे०हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि०, दवारा विवेक कुमार लिगल हेड हिण्डालको

निवासी: हिण्डालको कालोनी रेनुकूट दुध्दी सोनभद्र

व्यवसाय: नौकरी

ने निष्पादन स्वीकार [illegible] पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री चन्द्र भान सिंह , पुत्र श्री लाल मिठाई सिंह

निवासी: हिण्डालको कालोनी रेनुकूट दुध्दी सोनभद्र

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता : 2

श्री क, पुत्र श्री क

निवासी: क

व्यवसाय: नौकरी

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः [illegible] निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

श्याम धर यादव प्रभारी
उप निबंधक : दुद्धी
सोनभद्र

निबंधक लिपिक

Scanned with OKEN Scanner

भुगतान करेगा। उल्लेखनीय यह है कि पट्टेदार द्वारा एक वर्ष का वार्षिक किराया रूपया बावन हजार एक सौ चालीस मात्र (रू0 52,140/–) मात्र सहित कुल रू0 3,12,840/– (दि0 1997–98 से 2000–03 तक का) 6 वर्ष के लीज रेन्ट के रूप में डी0डी0 संख्या 252377 दिनांक 16.04.2001 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट, सोनभद्र के कार्यालय में जमा कर दिया गया है ।

I. अतः पट्टेदार पट्टादाता से निम्न प्रसंविदा करता है :–

1) उक्त भूमि पट्टे पर दिये जाने के बाद भी प्रश्नगत वनभूमि का उपयोग उक्त याचक द्वारा केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा तथा उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा ।

2) याचक विभाग के संबंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे संबंधित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेगा और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचती है अथवा पहुँचाई जाती है, तो उसके लिये संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग द्वारा देय होगा।

3) उक्त वनभूमि पट्टाधारक के उपयोग में लीज अवधि के अन्दर तब तक बनी रहेगी, जब तक कि पट्टाधारक को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि पट्टाधारक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो पट्टाधारक के लिये आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी ।

4) वन विभाग के कर्मचारी/अधिकारी अथवा उसके अभिकर्ता को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, प्रश्नगत वनभूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

5) प्रश्नगत वनभूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर

For Hindalco Industries Limited
(Vivek Kumar)
Authorized Signatory)

6) संबंधित वनक्षेत्र में परियोजना पर कार्य करने वाले मजदूर तथा कर्मचारी अपनी ईधन की आवश्यकता के लिये वनों को हानि न पहुँचायें, इसके लिये पट्टाधारक द्वारा उन्हें ईधन की लकड़ी अथवा अन्य ईधन सामग्री की आपूर्ति की जायेगी।

7) वनभूमि पर यदि कोई वृक्ष खड़े हो और उनका पातन किया जाना आवश्यक हो तो वह केवल उ0प्र0 वन निगम द्वारा ही किया जायेगा तथा वृक्षों के छपान का व्यय प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग को प्रदान करना होगा।

8) प्रश्नगत वनभूमि का वर्तमान बाजार दर पर जिलाधिकारी से मूल्य निर्धारित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम एवं प्रीमियम का दस प्रतिशत वार्षिक की दर से लीज रेंट लिया जायेगा। चूँकि प्रस्तावक द्वारा पूर्व में प्रीमियम का भुगतान कर दिया गया है। अतः प्रीमियम नहीं वसूल किया जायेगा।

9) पट्टाधारक द्वारा उक्त शर्तो एवं अन्य सामान्य शर्तो को सम्मिलित करते हुये एक पट्टाविलेख का आलेख्य प्रस्तुत किया जायेगा, इसे शासकीय हस्तांतरक से विधीक्षित करवाया जायेगा। ऐसे पट्टाविलेख के विधीक्षण हेतु न्याय (कन्वेयसिंग) कोष्ठक के शासनादेश संख्या 198/7--जीसी–89–3–89, दिनांक 19.06.1989 के अनुसार निर्धारित विधीक्षण शुल्क विलेख विधीक्षण से पूर्व लेखा शीर्षक "0070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–01–न्याय प्रशासन–501–सेवायें और सेवा फीस–01–की गयी सेवाओं के लिये भुगतानों की उगाही" के अन्तर्गत ट्रेजरी में जमाकर ट्रेजरी चालान की प्रति पट्टा विलेख के आलेख्य के साथ उपलब्ध करायी जायेगी।

10) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के उल्लंघन के फलस्वरूप याचक विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा दुगुने अवनत वनक्षेत्र अर्थात 6.394x2= 12.788 हे0 में दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा।

11) वन संरक्षण अधिनियम के संलग्नक–5 के पारेषण लाईनों से संबंधित दिशा निर्देशों को याचक विभाग द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12) याचक विभाग द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तदोपरान्त रख–रखाव के दौरान स्थानीय वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।

For Hindalco Industries Limited

(Vivek Kumar)
Authorized Signatory)

13) पट्टेदार उचित मूल्य पर 2000 गैलन पीने का पानी प्रतिदिन फारेस्ट कालोनी को उपलब्ध करायेगा ।

किन्तु सदा प्रतिबंध यह कि यह विलेख इस शर्त पर निष्पादित किया जाता है कि अगर और जब कभी उपयुक्त किराये अथवा उसके किसी निश्चित भाग को निश्चित तिथि के पश्चात एक मास तक भुगतान न होगा, चाहे वह विधिक मांगा गया हो या न मांगा गया हो अथवा यदि पट्टे में वर्णित प्रसंविदाओं में से किसी एक को अथवा अधिक को पट्टेदार भंग करेगा अथवा उसका पालन न करेगा, तब और ऐसे किसी दशा में पट्टादाता भले ही अपने पुनः प्रवेश करने के किसी अधिकार को छोड़ दिया हो उक्त वनभूमि में पुनः प्रवेश कर सकता है और पट्टेदार तथा उसके समस्त अध्यासियों को वहॉ से निकाल सकता है और तब यह गैर वानिकी प्रयोग हेतु पट्टे पर हस्तांतरित वनभूमि का पट्टा बिल्कुल निरस्त हो जायेगी तथा उक्त वनभूमि पर निर्मित निर्माणों को हटाने अथवा उसके सम्बन्ध में प्रतिकर पाने के पट्टेदार के समस्त अधिकार अपहृत हो जायेंगे ।

यह भी प्रतिबन्ध है कि ऊपर जो कुछ अंकित है इसके अतिरिक्त पट्टादाता को यह अधिकार होगा कि वह इस विलेख के अधीन समस्त धनराशि अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के प्रमाण–पत्र पर जो अंतिम, निश्चायक और पट्टेदार पर बाध्यकारी होगा, पट्टेदार से भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूल कर लें ।

यह भी प्रतिबंध होगा कि यदि गैर वानिकी प्रयोग हेतु पट्टे पर हस्तांतरित उक्त वनभूमि की पट्टादाता को किसी समय अपने कार्य के लिये आवश्यकता होगी तो उसको यह अधिकार होगा कि पट्टेदार को उक्त वनभूमि पर उस समय निर्मित किसी निर्माण को हटाने की एक माह की लिखित नोटिस दे और यह भी उक्त नोटिस के पट्टेदार द्वारा प्राप्त होने की तिथि के पश्चात् उक्त अवधि के समाप्त होने पर दो मास के भीतर पट्टादाता उक्त वनभूमि पर अपना आधिपत्य प्राप्त कर ले किन्तु शर्त यह है कि पट्टादाता उक्त वनभूमि पर निर्मित पट्टेदार पर बनाये गये किसी निर्माण को क्रय करना चाहें तो पट्टेदार को उस निर्माण के बदले में ऐसी धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा जो राज्य सरकार के वन विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा अवधारित की जायेगी ।

For Hindalco Industries Limited

(Varun Kumar)
Authorized Signatory

मुख्य वन संरक्षक
गोरखपुर क्षेत्र
गोरखपुर

Scanned with OKEN Scanner

किन्तु प्रतिबन्ध यह भी कि पट्टेदार उपर्युक्त अवधि में ऐसी समस्त कर, दर तथा अन्य परिव्ययों का भुगतान करेगा जो पट्टे पर हस्तान्तरित वनभूमि के सम्बन्ध में पट्टादाता अथवा पट्टेदार द्वारा इस समय देय है अथवा भविष्य में देय होंगे।

2- और इस विलेख के दोनों पक्ष करार करते हैं कि :—

(क) उक्त वनभूमि गैर वानिकी प्रयोग के बाद भी वनभूमि बनी रहेगी एवं उसके वर्तमान वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

(ख) इस विलेख से उत्पन्न या इसके सम्बन्ध में या उसके विषय पर यदि कोई भी विवाद मतभेद अथवा प्रश्न दोनों पक्षों से या उसके किसी दावेदारों के बीच कभी उठ खड़ा हो तो उस पर अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम होगा, तथा इस विलेख के दोनों पक्ष उससे बाध्य होंगे ।

(ग) पट्टादाता को यह अधिकार होगा इस विलेख के आधीन देय समस्त धनराशि को अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश के प्रमाण पत्र पर जो अन्तिम निश्चायक तथा पट्टेदार पर बाध्यकारी होगा भू—राजस्व के बकाया के रूप में पट्टेदार से वसूल कर ले।

(घ) इस विलेख के सम्बन्ध में देय स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क का वहन पट्टेदार द्वारा किया जायेगा ।

(ड.) पट्टेदार को उक्त वनभूमि किसी अन्य को हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं होगा ।

(च) इससे पूर्व प्रयुक्त शब्द पट्टादाता और पट्टेदार के सम्बन्ध में जब तक उनकी इस प्रकार की व्याख्या प्रसंगों से असंगत न हो पट्टादाता की दशा में उसके पद के उत्तराधिकारियों तथा पट्टेदार की दशा में उसके उत्तराधिकारियों का अर्न्तभाव निहित है।

(छ) उक्त वनभूमि पर या उसके नीचे पाये गये खान एवं खनिजों पर पट्टादाता का अधिकार रहेगा ।

For Hindalco Industries Limited

(Vivek Kumar)
Authorized Signatory)

Scanned with OKEN Scanner

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम / वन ब्लाक का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हे0 में)
मुर्धवा वन ब्लाक	कम्पार्टमेन्ट नं 16 व 17	6.394

इस विलेख के साक्ष्य में श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की ओर से श्री .... (मुख्य अरण्यपाल) मुख्य वन संरक्षक जनपद........................... ने तथा पट्टेदार की ओर से उनके द्वारा अधिकृत श्री विवेक कुमार ने नीचे हस्ताक्षर कर दिये हैं, जो उनके हस्ताक्षर के नीचे पदनाम दिया हुआ है।

हस्ताक्षर

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर

श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से एवं उनके द्वारा अधिकृत

हस्ताक्षर

For Hindalco Industries Limited

HINDALCO INDUSTRIES LTD. Sonebhadra 231217 RENUKOOT

प्रबन्धक / डायरेक्टर
(Vivek Kumar)
Authorized Signatory
द्वारा संस्था / कम्पनी

पट्टेदार की ओर से एवं उसके द्वारा अधिकृत

साक्षीगण:—

1. क्षेत्रीय वनाधिकारी
पिपरी रेंज
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट, सोनभद्र

1. पता

2. (अमित कुमार श्रीवास्तव)
3090

2. पता

प्रस्तुतकर्ता — प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट, सोनभद्र

गवाह-1-

चन्द्रभान सिंह

गवाह-2- दीप चन्द
दीपचन्द

Scanned with OKEN Scanner

GPS COORDINATES OF 6.394 HECTARE FOREST LAND TRANSFERRED TO HINDALCO INDUSTRIES LIMITED, RENUKOOT FOR LAYING 132 KV TRANSMISSION LINE CORRIDOR FROM RIHAND HYDEL POWER STATION, PIPRI TO ITS PLANT AT RENUKOOT BY UTTAR PRADESH FOREST DEPT. IN PIPRI RANGE OF RENUKOOT FOREST DIVISION, RENUKOOT, SONBHADRA (UP).

SL. NO.	UTM COORDINATES		LATITUDE			LONGITUDE			DECIMAL DEGREE		PT. ID.
	EAST	NORTH	DD	MM	SS	DD	MM	SS	LATITUDE	LONGITUDE	
1	704499.840	2679331.300	24	12	48.3182	83	0	49.15445	24.213422	83.013654	P1
2	704738.896	2679672.073	24	12	59.27937	83	0	57.79886	24.216466	83.016055	P2
3	704840.314	2679816.641	24	13	3.929408	83	1	1.465238	24.217755	83.017074	P3
4	705073.710	2680015.739	24	13	10.33632	83	1	6.294719	24.219538	83.018415	P4
5	705044.223	2680170.669	24	13	15.33758	83	1	8.872585	24.220927	83.019131	P5
6	705192.695	2680531.385	24	13	26.9891	83	1	14.3184	24.224164	83.020644	P6
7	705223.528	2680690.526	24	13	32.14584	83	1	15.4926	24.225596	83.02097	P7
8	705243.723	2680772.316	24	13	34.79408	83	1	16.25017	24.226332	83.021181	P8
9	705370.652	2681143.029	24	13	46.7805	83	1	20.9382	24.229661	83.022483	P9
10	705488.314	2681275.776	24	13	51.03856	83	1	25.17581	24.230844	83.02366	P10
11	705582.810	2681452.390	24	13	56.73259	83	1	28.63059	24.232426	83.024625	P11
12	705649.911	2681455.754	24	13	56.81058	83	1	30.99468	24.232447	83.025276	P12
13	705736.232	2681452.671	24	13	56.6696	83	1	34.05194	24.232403	83.026126	P13
14	705810.375	2681426.263	24	13	55.77644	83	1	36.66572	24.23216	83.026852	P14
15	705857.170	2681414.803	24	13	55.38191	83	1	38.31804	24.232051	83.027311	P15
16	705902.501	2681416.732	24	13	55.42316	83	1	39.92536	24.232067	83.027757	P16
17	705903.352	2681393.762	24	13	54.66009	83	1	39.94345	24.23185	83.027762	P17
18	705854.530	2681391.197	24	13	54.61592	83	1	38.22295	24.231838	83.027284	P18
19	705803.625	2681403.737	24	13	55.04763	83	1	36.4149	24.231558	83.026782	P19
20	705731.769	2681429.329	24	13	55.91323	83	1	33.88178	24.232198	83.026078	P20
21	705650.089	2681432.246	24	13	56.04662	83	1	30.98888	24.232235	83.025275	P21
22	705596.190	2681429.607	24	13	55.98539	83	1	29.14842	24.232218	83.024763	P22
23	705507.086	2681262.224	24	13	50.58904	83	1	25.85529	24.230719	83.023849	P23
24	705391.348	2681130.971	24	13	46.37891	83	1	21.66537	24.22955	83.022685	P24
25	705266.277	2680765.684	24	13	34.56795	83	1	17.04595	24.226269	83.021402	P25
26	705246.472	2680685.474	24	13	31.97087	83	1	16.30301	24.225547	83.021195	P26
27	705215.306	2680524.615	24	13	26.75845	83	1	15.11613	24.2241	83.020866	P27
28	705065.777	2680161.331	24	13	15.02402	83	1	9.611537	24.22084	83.019342	P28
29	704994.290	2680004.262	24	13	9.953689	83	1	7.018065	24.219432	83.018616	P29
30	704859.686	2679803.359	24	13	3.488703	83	1	2.14561	24.217636	83.017263	P30
31	704758.125	2679658.586	24	12	58.83204	83	0	58.4732	24.216342	83.016243	P31
32	704519.067	2679317.812	24	12	47.87089	83	0	49.82878	24.213297	83.013841	P32

GEO REFERENCE MAP OF 6.394 HECTARE FOREST LAND TRANSFERRED TO HINDALCO INDUSTRIES LIMITED, RENUKOOT FOR LAYING 132 KV TRANSMISSION LINE CORRIDOR FROM RIHAND HYDEL POWER STATION, PIPRI TO ITS PLANT AT RENUKOOT BY UTTAR PRADESH FOREST DEPT. IN PIPRI RANGE OF RENUKOOT FOREST DIVISION, RENUKOOT, SONBHADRA (UP).

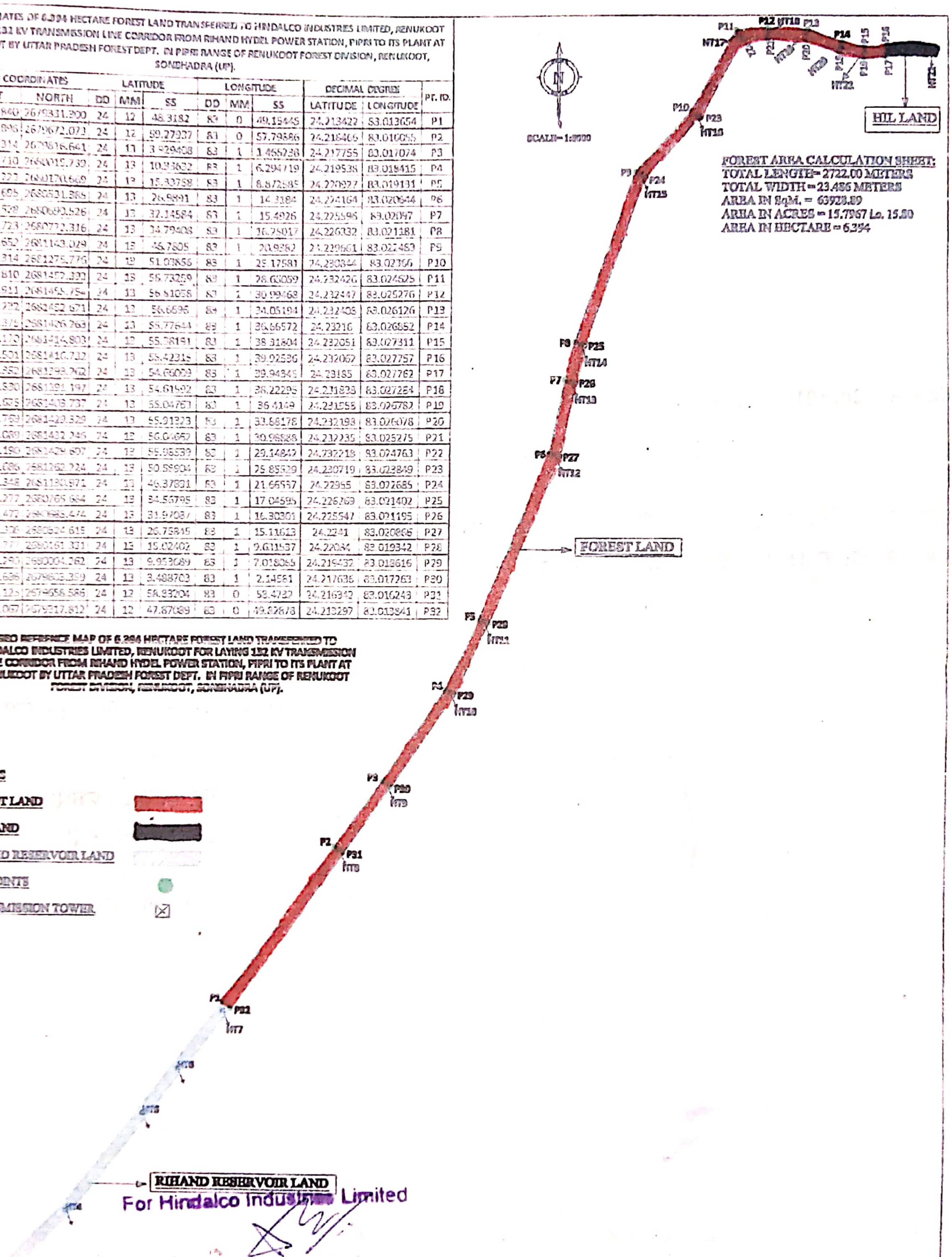

FOREST AREA CALCULATION SHEET:
TOTAL LENGTH= 2722.00 METERS
TOTAL WIDTH = 23.486 METERS
AREA IN SqM. = 63928.89
AREA IN ACRES = 15.7967 Lo. 15.80
AREA IN HECTARE = 6.394

LEGENDS

1. FOREST LAND
2. HIL LAND
3. RIHAND RESERVOIR LAND
4. GPS POINTS
5. TRANSMISSION TOWER

For Hindalco Industries Limited

([illegible] Kumar)
Authorized Signatory)

Scanned with OKEN Scanner

आवेदन सं०: 202101006003851

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 1951 के पृष्ठ 277 से 294 तक क्रमांक 3300 पर दिनाँक 16/09/2021 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

श्याम धर यादव प्रभारी
उप निबंधक : दुद्धी
सोनभद्र
16/09/2021

Scanned with OKEN Scanner